निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 चैत्र 1943 (श0)

(सं0 पटना 303) पटना, सोमवार, 12 अप्रील 2021

lCE 27@vkjki&01&16@2020&4377@lk0i0

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

1 अप्रील 2021

वर्ष 2019 में पटना जल–जमाव पर गठित समिति का जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने से संबंधित दोषी पदाधिकारी श्रीमती पूनम कुमारी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1185/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का अनुरोध नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–734 दिनांक–10.02.2020 द्वारा इस विभाग से किया गया। उक्त के क्रम में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2348 दिनांक–13.02.2020 द्वारा श्रीमती कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक–8811 दिनांक–25.09.2020 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. श्रीमती कुमारी सम्प्रति 13 माह से निलंबित हैं। इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में जांच प्रतिवेदन सम्प्रति अप्राप्त है। श्रीमती पूनम कुमारी के द्वारा निलंबन से मुक्त करने संबंधी आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती कुमारी को निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतएव श्रीमती पूनम कुमारी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–1185/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना (सम्प्रति निलंबित) को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

4. श्रीमती पूनम कुमारी, निलंबन मुक्त होने के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में अपना योगदान देंगी।

5. श्रीमती पूनम कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही जारी रहेगी एवं उनके निलंबन अवधि के विनियमन एवं वेतन के संबंध में विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के पश्चात् निर्णय लिया जायेगा।

vkn'k %& vkn'k fn;k tkrk g fd bl ldYi dh ifr fcgkj jkti= d vxy vd e idkf'kr fd;k tk; rFkk bldh ifr lHkh lcf/kr dk Hkt nh tk;A

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 303-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in